प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –11/2023
अनवान : –

1. हनुमान पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. उदाराम पुत्र डुंगरराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
2. शंकरलाल पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
3. गुड्डी पुत्री उदाराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
4. रमेश कुमार पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
5. सुमन पुत्री हनुमान जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
6. माया पुत्री हनुमान हनुमान जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
7. प्रियंका पुत्री हनुमान हनुमान जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
8. पवन कुमार पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 25.05.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता स0 13/15 की कुल 10.1180 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा डुगरराम पुत्र जीवणराम के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद वादी के पिता यानि की प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज हुई। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण स0 2 ता 8 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है।

प्रतिवादीया स0 3 जो की वादी की बहिन है प्रतिवादी स0 1 की पुत्री है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में त्याग कर दिया है। प्रतिवादीया स0 5 ता 7 जो की प्रतिवादी स0 4 की बहिन है ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी स0 4 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा मुन्सरी के खाता स0 13/15 की कुल 10.1180 हैक्ट भूमि में वादी 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी स0 1, प्रतिवादी स0 2 व प्रतिवादी स0 4 तथा प्रतिवादी स0 8 प्रत्येक 1/5 हिस्सा के खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:27:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

काश्तकार है वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 8 ने उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 8 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता स0 13/15 की कुल 10.1180 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 8 द्वारा इकबाल जवाब दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 8 को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 8 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता स0 13/15 की कुल 10.1180 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में 1/5 हिस्सा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी स0 1, प्रतिवादी स0 2, प्रतिवादी स0 4 तथा प्रतिवादी स0 8 प्रत्येंक को 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय [illegible] 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो [illegible] मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:27:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–ननाऊ

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:27:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –11/2023
अनवान : –

1. हनुमान पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. उदाराम पुत्र डुंगरराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
2. शंकरलाल पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
3. गुड्डी पुत्री उदाराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
4. रमेश कुमार पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
5. सुमन पुत्री हनुमान जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
6. माया पुत्री हनुमान हनुमान जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
7. प्रियंका पुत्री हनुमान हनुमान जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
8. पवन कुमार पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गतधारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 11 सन 2023 निर्णय दिनांक 25.05.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता स0 13/15 की कुल 10.1180 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में 1/5 हिस्सा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी स0 1, प्रतिवादी स0 2, प्रतिवादी स0 4 तथा प्रतिवादी स0 8 प्रत्येंक को 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट– ननाऊ

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:27:13 IST
Reason: SelfAttested